

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 184 / 2006
संस्थान दिनांक 31.03.2006

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. नूरमोहम्मद पिता हुसैन, आयु 55 वर्ष
2. पण्डित पिता गिरधर, आयु 55 वर्ष,
3. मुस्तकीम पिता मखमुद्दीन, आयु 45 वर्ष
4. हामिद पिता मखमुद्दीन, आयु 45 वर्ष,
सभी निवासीगण- सेंधवा थाना सेंधवा
जिला बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 178 / 2005 अंतर्गत 379, 420 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं म.प्र. वनोपज अधिनियम, 1969 की धारा 5 (3) 'ग', 15 एवं 1927 की धारा 41, 42, 52 में दिनांक 31.03.2006 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 24.07.2005 को समय रात्रि लगभग 2:00 बजे, पुलिस थाना ठीकरी के सामने अवैध रूप से काटी गई वनोपज सागवान की लकड़ियों की सिल्ली 271 नग चोरी से भरकर सेंधवा की ओर से इन्दौर की ओर ट्रक में भरकर परिवहन अवैध रूप से करने और अभियुक्त हमीद ने सहयोग करने तथा अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 का उपयोग छल करने हेतु बेईमानी से लाकार परिवहन करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 379, 420 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम तथा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापारी विनिमय) अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.07. 2005 को थाना ठीकरी के निरीक्षक श्री एन.एस. डावर को थाने के टेलीफोन पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि टक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 में अवैध रूप से जंगल से काटी गई सागवान की सिल्लियाँ चोरी से भरकर सेंधवा से इन्दौर की ओर ले जा रहे हैं उक्त सूचना को उसने रोजनामचा क्रमांक 1204 पर दर्ज किया तथा हमराज प्र.आ. क्रमांक 143 आरक्षक क्रमांक 302 , 272, 290, 340, तथा चालक सैनिक रमजान क्रमांक 44 को शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी. 03 5726 को लेकर ए.बी. रोड थाने के सामने कानवाई पर पहुँचकर पंच साक्षी गोवर्धन निवासी कालापानी एवं मंशाराम निवासी ठीकरी को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। सेंधवा की ओर से उक्त टक आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किया। टक में तीन व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम पूछने पर नूरमोहम्मद पिता हुसैन, पण्डित पिता गिरधर एवं मुस्तकीम पिता मखमुद्दीन निवासी सेंधवा होना बताया था। टक को चेक करने पर अवैध रूप से चोरी कर वन से काटी गई सागवान की लकड़ियों की सिल्ली 271 नग कीमत लगभग 2,70,000/- तथा टक के केबिन से नम्बर प्लेट क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 8520 पाई गई। चालक से उक्त सागवान की लकड़ियों के परिवहन के संबंध में पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। अतः उक्त अभियुक्तों के आधिपत्य से उक्त टक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 तथा सागवान की लकड़ियाँ एवं नम्बर प्लेट क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 8502 तथा 22 बोरे काकड़े भरे हुए थे। साक्षियों के समक्ष जप्त किया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा उन्हें थाने पर लाकर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2005 अंतर्गत पर धारा 379, 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.स. एवं धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम तथा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापारी विनिमय) अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा विवेचना के दौरान यह पाया गया कि उक्त अपराध में अभियुक्त हमीद भी शामिल था। अतः अभियुक्त हमीद को भी इस अपराध में गिरफ्तार किया तथा अभियुक्तों द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट का उपयोग करने के आधार पर भादस की धारा 420/34 प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 379, 420 सहपठित धारा 34 भा.दं.स. एवं धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम तथा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापारी विनिमय) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 24.07.2005 को समय रात्रि लगभग 2:00 बजे, पुलिस थाना ठीकरी के सामने अवैध रूप से काटी गई वनोपज सागवान की लकड़ियों की सिल्ली 271 नग चोरी से भरकर सेंधवा की ओर से इन्दौर की ओर ट्रक में भरकर परिवहन अवैध रूप से किया जिसमें अभियुक्त हमीद ने सहयोग किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 का उपयोग छल करने हेतु बेईमानी से लाकार परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गोवर्धन (अ.सा.1), मंशाराम (अ.सा.2), खाजु (अ.सा.3), रमेशचन्द्र (अ.सा.4), दिनेश (अ.सा.5), गोपाल (अ.सा.6), विष्णु पटेल (अ.सा.7), सन्नालाल (अ.सा.8), वनरक्षक महेश कुमार आर्य (अ.सा.9) एवं प्रधान आरक्षक हरिओम यादव (अ.सा.10) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रधान आरक्षक हरिओम यादव अ.सा.10 का कथन है कि दिनांक 23.07.2005 को वह थाना ठीकरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को तत्कालीन थाना प्रभारी श्री एन.एस. डावर ने उसे बताया कि टेलीफोन पर मुखबिर से सूचना मिली कि सेंधवा की ओर से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 में सागवान की लकड़ियों की सिल्लियाँ भरकर सेंधवा से इन्दौर की ओर जा रहे थे तब प्रधान आरक्षक बलवीरसिंह यादव, आरक्षक राकेश, प्रताप, एवं राकेश सागोरे के साथ थाने के सामने जहाँ कानवाई लगती थी, वहाँ पर पहुँचे। रात्रि लगभग 2:00 बजे ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 सेंधवा की ओर से कानवाई की जगह पर आया, जिसे रोककर निरीक्षक डावर ने चेक किया। उसमें सागवान की लगभग 271 नग लकड़ी की सिल्लियाँ भरी हुई थी और तीन व्यक्ति केबिन में बैठे हुए थे। श्री डावर ने वाहन के केबिन में बैठे हुए व्यक्तियों से पूछताछ की, तब उनमें से एक ने अपना नाम नूरमोहम्मद, दूसरे ने पण्डित तथा तीसरे ने मुस्तकीम होना बताया। वाहन की केबिन के अंदर से एक नम्बर प्लेट मिली जिस पर

क्रमांक एम.पी. 09 के.ए 8502 लिखा था और सागवान की सिल्लियों के ऊपर 22 नग काकड़े के बोरे रखे हुए थे। श्री डाबर ने पंचसाक्षी गिरधारी एवं मंशाराम को तलब कर उनके सामने कार्यवाही की थी। अभियुक्तों के पास उक्त सागवान की लकड़ियों के स्वामित्व व परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि थाने पर रवाना होने के पहले रोजनामे में रवानगी का इंड्राज करते हैं और वापस आने पर वापसी का इंड्राज भी करते हैं। साक्षी गोवर्धन कालापानी एवं मंशाराम ठीकरी का निवासी है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त दोनों साक्षीगण घटना के समय उपस्थित नहीं थे अथवा उनसे थाने पर उक्त हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह अभियुक्तों को घटना के पूर्व से नहीं जानता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जप्त सागवान की सिल्लियों पर वन विभाग का मार्का लगा हुआ था और उक्त संबंध में दस्तावेज भी थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था अथवा वह अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

8. वनरक्षक महेश कुमार आर्य अ.सा.9 ने दिनांक 26.07.2005 को वनपरिक्षेत्र ठीकरी के बिट ग्राम दवाना में वनरक्षक के पद पदस्थ होने तथा थाना ठीकरी पर पहुँचकर जप्तशुदा सागवान की चोरस लकड़ी 271 नग नापतोल करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि सागवान लकड़ी का क्षेत्रफल 17.749 घनमीटर निकला था। उसकी सूची उनसे 5 प्रति में तैयार की थी और असल सूची विभाग द्वारा लकड़ियों की राजसात की कार्यवाही के संबंध में संलग्न की गई थी। उस समय वन परिक्षेत्राधिकारी ठीकरी पर यशवंत महाले थे। प्रदर्शपी 15 का पत्र वनपरिक्षेत्र कार्यालय ठीकरी से थाना ठीकरी को भेजा गया था। यशवंत महाले की मृत्यु हो चुकी है। प्रदर्शपी 15 के पत्र पर महाले के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 15 का पत्र महाले ने उसके समक्ष नहीं लिखा था और जिस लकड़ी की उसने नापतोल कर सूची बनाई थी उसमें थाने का अपराध का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सूची में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि नापतोल किस स्थान पर किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने लकड़ी की नापतोल थाने पर की थी अथवा उसने वन विभाग के कार्यालय में बैठकर सूची तैयार की थी।

9. गोवर्धन अ.सा. 1, मंशाराम अ.सा. 2, दिनेश अ.सा. 5, पन्नालाल अ.सा. 8 अभियुक्तों से उक्त ट्रक, सागवान की लकड़ियाँ जप्त करने के साक्षीगण हैं, किन्तु किसी भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षियों ने प्रदर्शपी 1 से 4 तथा 10 एवं 11 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त सभी साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस को कोई कथन भी देने से इंकार किया है। गोवर्धन अ.सा. 1,

मंशाराम अ.सा. 2 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 23.07.2005 को वे लोग एक साथ होटल में खाना खाने जा रहे थे तब थाना ठीकरी के प्रभारी ने उन्हें बुलाया और उनको अभियुक्तों की सूचना बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उनके सामने ट्रक क्रमांक एम. पी. 09 के.ए. 5230 में भरे हुए अवैध रूप से सागवान की 271 नग लकड़ियों की सिल्लियों अभियुक्त नूर मोहम्मद, पण्डित एवं मुस्तकीम के आधिपत्य से जप्त की थी।

10. खाजु अ.सा. 3 ने भी अभियुक्त नूर मोहम्मद एवं मुस्तकीम को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के पक्ष में नहीं किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त नूर मोहम्मद द्वारा अभियुक्त हमीद के ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सागवान की लकड़ियों की चोरी करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त नूरमोहम्मद उसका भाई है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

11. गोपाल जासवाल अ.सा. 6 का कथन है कि वह अभियुक्त नूरमोहम्मद को जानता है। उसके पास ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 8502 था, जो उसने 10 वर्ष पूर्व नूरमोहम्मद को 2,60,000/- रुपये विक्रय किया था जिसका विक्रय विलेख प्रदर्शपी 12 निष्पादित किया था, जिसके ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई एवं एफ से एफ भाग पर नूरमोहम्मद के हस्ताक्षर हैं। उसके एवं नूरमोहम्मद के मध्य वाहन बिक्री के संबंध में प्रदर्शपी 13 का इकरारनामा भी निष्पादित किया था, जिसके ई से ई, एफ से एफ, जी से सी एवं एच से एच भागों पर उसके एवं अभियुक्त नूरमोहम्मद के हस्ताक्षर हैं। उसने भी प्रदर्शपी 12 एवं 13 के दस्तावेज पुलिस को प्रदर्शपी 14 के पंचनाम अनुसार जप्त कराये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त ट्रक इन्दौर जिला परिवहन कार्यालय में अभी भी उसके नाम से दर्ज है। वह अभियुक्त नूरमोहम्मद को पहले से ही जानता है तथा दलाल के माध्यम से नूरमोहम्मद को वाहन विक्रय किया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उक्त ट्रक अभियुक्त नूरमोहम्मद को विक्रय नहीं किया था अथवा वह स्वयं को बचाने के लिए वाहन नूरमोहम्मद को बैचने के संबंध में असत्य कथन कर रहा है।

12. विष्णु पटेल अ.सा. 7 ने भी गोपाल जासवाल का ट्रक क्रमांक एम. पी. 09 के.ए. 8502 अभियुक्त नूरमोहम्मद को 10 वर्ष पूर्व विक्रय प्रदर्शपी 12 एवं 13 के माध्यम से कराने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने उक्त इकरारनामे के आई से आई भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन के क्रय एवं विक्रय करने का लायसेंस नगर निगम इन्दौर से लिया था। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया कि उक्त प्रदर्शपी 12 एवं 13 को पंजीकृत या नोटरी नहीं कराया गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त प्रदर्शपी 12 एवं 13 पर क्रेता एवं विक्रेता के फोटों नहीं लगे हुए हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि परिवहन कार्यालय में जिस-जिस व्यक्ति के नाम वाहन पंजीयन होता है उसी के नाम से वाहन रहता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने एवं गोपाल ने मिलकर नूरमोहम्मद को असत्य रूप से फंसाने के लिए प्रदर्शपी 12 एवं 13 के दस्तावेज तैयार किये थे अथवा वह अभियुक्तों को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

13. रमेशन्द्र अग्रवाल अ.सा. 4 का कथन है कि उनकी गौरव उद्योग के नाम से जीनिंग फेक्ट्री वरला रोड़ सेंधवा में स्थित है, जिसका कारोबार वह देखता है, उसने 10 वर्ष पूर्व संतोष नामक मुनीम को रखा था जो वह उनके कारोबार की देखरेख करता था। पुलिस ने उससे कारोबार के संबंध में पूछताछ की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने विशाल आईल इंडस्ट्रीज को 300 बोरे काकड़ा दिनांक 18.04.05, 19.04.05 एवं 01.06.2005 को भेजना बताया था। यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 8 व 9 पर अपने और मुनिम संतोष के हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्शपी 8 व 9 की भाड़ा चिट्ठी के एम.पी. सी.टी. फार्म एवं सी.एस.टी. फार्म उसकी फर्म के नहीं हैं और उसने दिनांक 23.05.2007 को अरिहंत ट्रेडर्स खाचरोद पर अपनी फर्म को 200 बोरी काकड़ा प्रदर्शपी 8 व 9 के बिल और भाड़ा चिट्ठी के आधार पर नहीं भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गौरव कार्टन इंडस्ट्रीज उसके नाम से नहीं है और पुलिस ने उसकी बिल बुक एवं बही खाते देखे थे, जिनमें प्रदर्शपी 8 व 9 के बिलों का उल्लेख नहीं था और उक्त बिल बुक कोई भी छपवा सकता है।

14. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया है, यहाँ तक कि प्रकरण के जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी एन.एस.डावर एवं साक्षी प्रेमचंद जायसवाल के जमानती वारंट न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक बड़वानी पत्र के माध्यम से भेजे जाने के उपरांत भी संबंधित थाने की ओर से उक्त साक्षियों को उपस्थित नहीं रखा गया तथा उपनिरीक्षक बलवीरसिंह यादव को भी अभियोजन की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया गया यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति करवाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण प्रकरण अत्यधिक पुराना होने से न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया तथा जप्ती पंचनामों के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है, तो केवल हमराह पुलिस कर्मी हरिओम यादव अ.सा. 10 की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने घटना दिनांक, स्थान व समय

पर अवैध रूप से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 की नम्बर प्लेट का फर्जी रूप से उपयोग कर उक्त ट्रक में सागवान की लकड़ियों 271 की सिल्लियों को वन विभाग से चोरी कर अवैध रूप से परिवहन किया। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है अथवा उनके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि अपराध के फर्जी रूप से लगाई गई नम्बर प्लेट का नम्बर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 8502 भी साक्षी गोपाल जायसवाल अ.सा. 6 द्वारा अभियुक्त नूरमोहम्मद को विक्रय किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है।

15. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा पर धारा 379, 420 सहपठित धारा 34 भा.द.स. एवं धारा 41/42 भारतीय वन अधिनियम तथा 5/16 म.प्र. वनोपज (व्यापारी विनिमय) अधिनियम भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 5230 जिसका असल पंजीयन क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 8502 है, को किसी भी अभियुक्त या अन्य व्यक्ति ने अपने स्वत्व की होना नहीं बताया अथवा उक्त ट्रक तथा सागवान की 271 नग लकड़ियों की सिल्लियाँ एवं 22 बोरे काकड़े वनपरिक्षेत्राधिकारी वन विभाग ठीकरी के आधिपत्य में है, उक्त सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् राजसात कर नीलाम करके उसकी राशि कोषालय में जमा कराने के लिए वनपरिक्षेत्र अधिकारी ठीकरी को सूचित किया जाये तथा प्रकरण में जप्त मोबाईल अपील अवधि पश्चात् राजसात किया जाये तथा नीलाम करके राशि कोषालय में जमा की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

